संख्या-1315/ 77-6-15-41(एम)/ 14

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त संबंधित प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0।
4- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 15 सितम्बर, 2015

विषय: उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.7 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6) के शासनादेश संख्या-1262/ 77-6-12-8(एम)/ 12, दिनांक 07-09-2012 द्वारा प्रख्यापित अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर- 5.7 में मेगा परियोजनाओं को परिभाषित करते हुए, इन मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न लाभ/ प्रसुविधाएं अनुमन्य की गयी हैं।

2- प्रदेश में अधिकाधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं निवेशपरक वातावरण सृजित करने के दृष्टिकोण से मेगा परियोजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार कर उद्योगों के साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं वाली परियोजना (सामाजिक अवस्थापना को सम्मिलित करते हुए) व सेवा क्षेत्र की कतिपय परियोजनाओं को भी सुविधायें प्रदान किए जाने के दृष्टिगत, उक्त नीति के प्रस्तर संख्या-5.7 में निम्नवत् आंशिक संशोधन किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(अ) औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.7 में अंकित वर्तमान प्राविधान को स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधान के अनुसार संशोधित किया जाता है:-

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.7 के वर्तमान प्राविधान	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.7 के संशोधित प्राविधान
1	2
5.7 मेगा परियोजनाओं का तात्पर्य रू0 200 करोड़ अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र (जिसमें शासकीय अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत अथवा उससे कम हो) की समस्त औद्योगिक इकाईयों से है जिसमें	***5.7 मेगा परियोजनाओं का तात्पर्य रू0 200 करोड़ अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र (जिसमें शासकीय अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत अथवा उससे कम हो) की औद्योगिक इकाइयों तथा केवल चिकित्सालयों, मेडिकल/डेन्टल***

http://shasanadesh.up.nic.in

विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली इकाईयां भी सम्मिलित है। इन इकाईयों को स्थापना हेतु कई बार त्वरित सहायता राज्य सरकार से वांछित होती है जिससे कि इनका उत्पादन शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ हो सके तथा इनको स्थापित करने में समय की बचत हो सके।	***कालेजों, शिक्षण संस्थानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली*** *Shopping Village* ***की परियोजनाओं से है जिसमें इनका विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली इकाईयां/ परियोजनाएं भी सम्मिलित होंगी।*** इन परियोजनाओ के क्रियान्वयन हेतु कई बार त्वरित सहायता राज्य सरकार से वांछित होती है जिससे कि इनका क्रियान्वयन शीघ्रताशीघ्र हो सके तथा इनको स्थापित करने में समय की बचत हो सके।
प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश को अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक गंतव्य के रूप में विकसित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में अधिकाधिक मेगा परियोजनाओं की स्थापना की जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत् प्रोत्साहित किया जायेगा:- (क) रू0 200 करोड़ से अधिक परन्तु रू0 500 करोड़ से कम तक की पूंजी निवेश वाली मेगा परियोजनाओं को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 मे वर्णित सभी वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तो के अधीन अनुमन्य कराया जायेगा। केस-टू-केस आधार पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा को इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रि परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी की मेगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं अनुमन्य नहीं करायी जाएंगी जो अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 से आच्छादित न हों। इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आबंटन, जल, विद्युत कनेक्शन आदि की प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसी इकाईयों को यदि	प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश को अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक गंतव्य के रूप में विकसित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में अधिकाधिक मेगा परियोजनाओं की स्थापना की जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत् प्रोत्साहित किया जायेगा:- (क) रू0 200 करोड़ से अधिक परन्तु रू0 500 करोड़ से कम तक की पूंजी निवेश वाली मेगा परियोजनाओं को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 मे वर्णित सभी वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तो के अधीन अनुमन्य कराया जायेगा। केस-टू-केस आधार पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा को इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रि परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी की मेगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं अनुमन्य नहीं करायी जाएंगी जो अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 से आच्छादित न हों। इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आबंटन, जल, विद्युत कनेक्शन आदि की प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसी परियोजनाओ को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना संबंधी

http://shasanadesh.up.nic.in

परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना संबंधी सुविधा जैसे सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाईन, जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे पूर्णतः अथवा अंशतः शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जायेगा। (ख) रू0 500 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली मेगा परियोजनाओं को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस आधार पर इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त वे सुविधएं भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं जो अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 से आच्छादित नहीं है।	सुविधा जैसे सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाईन, जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे पूर्णतः अथवा अंशतः शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जायेगा। (ख) रू0 500 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली मेगा परियोजनाओं को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस आधार पर इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त वे सुविधएं भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं जो अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 से आच्छादित नहीं है।
	प्रस्तर 5.7 के अन्तिम पैरा के पश्चात निम्नानुसार नवीन प्रस्तर जोड़ा जाता है:- **(ग) किसी विभाग द्वारा मेगा परियोजनाओं के निवेश हेतु विभागीय नीति न होने की दशा में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के प्रस्तर 5.7 के अन्तर्गत परिभाषित मेगा परियोजनाएं आच्छादित होगी।**

(ब) उक्त के साथ-साथ, अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के संगत प्रस्तर-5.7 में निम्न प्राविधान जोड़े जाते हैं-

मेगा परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिये गठित इम्पावर्ड कमेटी संबंधित विभाग/ विकास प्राधिकरण/ औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ हाउसिंग बोर्ड/ यू0पी0एस0आई0डी0सी0/ यूपीडा आदि को सुसंगत नियमों के अन्तर्गत भूमि के आवंटन हेतु निर्देश जारी करेगी।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव सह अवस्थापना
एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

<u>संख्या-1315(1)/ 77-6-15-41(एम)/ 14, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, लखनऊ।
5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
6- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
7- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
8- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
10- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन (अशासकीय पत्र संख्या- 4/ 2/ 17/ 2015-सी0एक्स0(1) दिनांक 01 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में)।
11- औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/ निगमों के प्रबन्ध निदेशक एव औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
12- औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उपसचिव, अनुसचिव एवं समस्त अनुभाग।
13- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 1500 प्रतियां मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।
14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन।
15- नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-1315(2)/ 77-6-15-41(एम)/ 14, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in